# जिला गव्य विकास कार्यालय, गढ़वा।

## (पशुपालकों के लिए आम सूचना)

सरकार के सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (गव्य विकास) के स्वीकृत्यादेश सं0– 17 रा0 (विभाग) रांची, दिनांकः– 17.06.2019 के आलोक में वितीय वर्ष 2019–20 में गढ़वा जिला के पशुपालकों/दुग्ध उत्पादकों को विभिन्न प्रशिक्षण के लिए लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इच्छुक पशुपालक विहित प्रपत्र में अपना पूर्ण विवरण देते हुए अपने पंचायत प्रतिनिधि की अनुशंसा करवाकर आवेदन जिला गव्य विकास कार्यालय, सोनपूरवा, गढ़वा में जमा कर सकते हैं।

| क0 | प्रशिक्षण का नाम | अवधि | लक्ष्य | | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SCSP | OSP | |
| 1 | दुधारू पशु प्रबंधन एवं पशु पोषण प्रशिक्षण। राज्य के अंदर प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थान, धुर्वा, रांची | 06 दिन | 25 | 100 | निकटतम डेयरी/दुग्ध संग्रहन केन्द्र में दुग्ध आपूर्ति करने वाले पशुपालक एवं दुधारू गाय की योजना के लिए इच्छुक पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाएगी। |
| 2 | राज्य के बाहर प्रशिक्षण–सह–परिर्दशन | 07/10 दिन | – | 05 | वैसे पशुपालक जिनेक पास कम से कम 05 उन्नत नस्ल के दुधारू पशु उपलब्ध हों। |
| 3 | ग्राम स्तर पर स्थल प्रशिक्षण | 01 | 70 | 680 | प्रगतिशील डेयरी प्रक्षेत्र के महिला पशुपालक। |
| 4 | IGNOU के माध्यम से प्रगतिशील डेयरी कृषकों को फॉरर्मश अवेयरनेस कार्यक्रम | 15 दिन | – | 25 | वैसे पशुपालक जिनके पास 05 या अधिक उन्नत नस्ल के दुधारू पशु उपलब्ध हों |

**पशुपालकों का चयन हेतु अहर्ताः–**

1. आवेदक संबंधित जिले के स्थायी निवासी एवं साक्षर पशुपालक हों जिनकी न्युनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 55 वर्ष हो।
2. दुधारू मवेशी पालन करते है या करने के इच्छुक हैं एवं पूर्व के विगत तीन वर्षों में संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये हों।
3. झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के कार्यक्षेत्र/बाएफ कार्यक्रम के लाभुक/फोकस एरिया के पशुपालक/स्वयं सहायता समूह के सदस्य/सांसद आदर्श ग्राम/सरकार के द्वारा विशिष्ट योजनाओं के लिए चयनित ग्राम के पशुपालकों को प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण में भेजा जाएगा।
4. सिंगल विण्डो सेन्टर, के माध्यम से भी आवेदन दिया जा सकता है।
5. प्रशिक्षणार्थियों को प्रखण्ड से प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थान, धुर्वा, रांची तक आने–जाने का मार्ग व्यय स्वयं वहन करना होगा जिसका भुगतान प्रशिक्षण उपरांत उनके खाता के माध्यम से भेजा जाएगा।

12/7/2019

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,
गढ़वा।